कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रभाग, बांदा

पत्रांक 3359/331 दिनांक – बांदा 02 मार्च 2016

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन
17राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ

विषय– बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु ककनारे बाबा नाले पर 2×5 मी. स्पान एवं 7.00 मीटर ऊंची आर0सी0सी0 बाक्स कलवर्ट एवं कर्व मरम्मत हेतु 0.30 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भ– आपका पत्रांक 08बी/यू.पी./06/06/2016/एफ.सी./1993 दिनांक 22.01.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि संशोधित प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों का निर्धारित प्रारूप में निराकरण निम्नप्रकार किया गया है।

Observ No.	Observation of GoI	Reply
1	जिला बांदा में इको क्लास–1 दिखाया गया है जोकि गलत है।	जिला बांदा में इको क्लास–III है।
2	प्रस्ताव के भाग–2 में परियोजना का वित्तीय ले–आउट 2.16 करोड़ दर्शाया गया है जबकि प्रतिदिन एक भी व्यक्ति रोजगार लाभान्वित नही है। इसका क्या कारण है?	रोजगार का विवरण अंकित कर दिया गया है जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–5 पर संलग्न है।
3	प्रस्ताव के भाग–1 के आगे के दो पृष्ठ अस्पष्ट है।	अस्पष्ट पृष्ठों के स्थान पर स्पष्ट पृष्ठ संलग्न कर दिये गये है।
4	प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया ले–आउट प्लान वन विभाग द्वारा प्रमाणित नही है एवं सम्बन्धित मानचित्र भी अस्पष्ट है।	ले–आउट प्लान वन विभाग द्वारा प्रमाणित करा दिया गया है। स्पष्ट मानचित्र संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में संलग्न वन भूमि की अधिसूचना में यह नही दर्शाया गया है कि कौन सा भाग प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है?	प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की अधिसूचना में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के भाग को दर्शा दिया गया है। साथ ही मानचित्र संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित डिजिटल मानचित्र मुख्य बिन्दुओं के जी.पी.एस., को–आर्डिनेट के साथ उपलब्ध नही कराया गया है। को–आर्डिनेट को सारणीी में उपलब्ध कराया गया है किन्तु इसे मानचित्र में बिन्दुओं के साथ लिंक नही किया गया है।	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित जी.पी.एस. कोआर्डिनेट उपलब्ध करा दिये गये है। साथ ही .kml फाइल सी.डी. सहित संलग्न कर दी गयी है।
7	टोपोशीट अस्पष्ट है एवं उससे कुछ भी समझना मुश्किल है।	स्पष्ट टोपोसीट संलग्न कर दी गयी है।

Observ No.	Observation of GoI	Reply
8	भाग–2 में पातन किये जाने वाले वृक्षों के ब्यौरे में 30 सेमी व्यास के वृक्षों की गणना नही की गयी है	भाग–2 में ऑनलाइन प्रस्ताव में 0 से 30 सेमी. व्यास के वृक्षों के लिये कोई कॉलम नही है। इसलिये ऑनलाइन प्रस्ताव में नही दर्शाया गया है। 30 सेमी. व्यास के वृक्षों की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।
9	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षोरापण हेतु प्रस्तावित भूमि का मानचित्र एवं योजना नही उपलब्ध करायी गयी है।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का जी.पी.एस. को–आर्डिनेट के साथ मानचित्र संलग्न कर दिया गया है जो भूमि प्रस्तावित भूमि के बदले में दी जा रही है। उसी भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जायेगा।
10	प्रस्ताव अधूरा है। मूल प्रस्ताव की भौतिक प्रति भी अपेक्षित है। यदि उसमें कोई और त्रुटि पायी जाती है तो उसको भी पत्र के द्वारा सूचित किया जायेगा।	प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों को दूर कर पुनः प्रेषित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रभाग, बांदा

पत्रांक दिनांक.........................

प्रतिलिपि–

1. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रभाग, बांदा